अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

भवन मानचित्र समिति–(ले–आउट प्लान) की 02/2022 वीं बैठक दिनांक 25.03.2022 का कार्यवाही विवरण :–

भवन मानचित्र समिति–(ले–आउट प्लान) की 02/2022 वीं बैठक दिनांक 25.03.2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. सचिव, श्री किशोर कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. उपायुक्त उत्तर, श्री अशोक चौधरी, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. उपायुक्त दक्षिण, श्रीमति सुनीता यादव, अजमेर विकास प्राधिकरण
4. निदेशक आयोजना, श्री पी.आर. बेनीवाल, अजमेर विकास प्राधिकरण
5. सहायक नगर नियोजक, श्रीमती प्रियंका, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 07 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया जो कि निम्न प्रकार से है –

एजेण्डा संख्या : 1

1.	आवेदक का नाम व पता	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री किशन लाल निवासी– ग्राम–कायड़ वाया गगवाना
2.	राजस्व ग्राम	माकड़वाली
3.	खसरा संख्या	3588, 3591, 5323/3591, 3591/4999
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम माकड़वाली खसरा संख्या 3588, 3591, 5323/3591, 3591/4999 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर का आवासीय प्रयोजनार्थ 90–क दिनांक 09.02.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
6.	सड़क मार्गाधिकार	भू–अभिलेख शाखा द्वारा प्रकरण में दर्ज रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि माकड़वाली से जनाना जाने वाली रोड़ पर स्थित हैं जिसकी वर्तमान चौड़ाई 12 मीटर (40 फीट) उपलब्ध होती है। एवं उक्त सड़क का मार्गाधिकार जोनल प्लान में 80 फीट निर्धारित हैं।
7.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान के अनुसार कुल क्षेत्रफल 12307.80 व.ग. (1.03 हैक्टेयर) हैं।
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू–अभिलेख शाखा द्वारा अंकित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 3588, 3591, 5323/3591, 3591/4999 आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है व बिन्दु संख्या चार के क्रम में 90–क करने के बाद अब भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

9.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि रिक्त हैं। प्रस्तावित भूमि माकड़वाली से जनाना जाने वाली 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित हैं।
10.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
11.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।

प्रस्तावित योजना मानचित्र

विवरण	**टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार**	**प्रस्तावित योजना मानचित्र अनुसार**
1. योजना का क्षेत्रफल	–2 हैक्टेयर से कम –2 हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर तक –10 हैक्टेयर से अधिक	12307.80 व.ग. (1.03 हैक्टेयर)
2. क्षेत्रफल का वर्गीकरण	(2 हैक्टेयर से कम) 70%–आवासीय/व्यवसायिक 30% –खुला/पार्क/फैसिलिटि/सड़क आदि।	आवासीय–7298.50 व.ग. (59.29%) व्यवसायिक–738.45 व.ग. (5.98%) पार्क/फेसिलिटि–474.02 व.ग. (3.85%) सड़क–3799.68 व.ग. (30.88%)
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 24 मीटर सड़क मध्य से 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 2. योजना के भूखण्डो पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 3. टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के समस्त प्रावधानो की पालना सुनिश्चित आवेदक द्वारा की जानी होगी।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 के प्रावधान 7.02/5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान आवासीय प्रयोजनार्थ अपेक्षित संशोधन पश्चात् निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 24 मीटर सड़क मध्य से 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. योजना के भूखण्डो पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
3. टाउनशिप पोलिसी 2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 के प्रावधान 7.02/5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो।

एजेण्डा संख्या : 2

1.	आवेदक का नाम व पता	पंचशील लिंक रोड़ व्यावसायिक योजना
2.	राजस्व ग्राम	लोहागल
3.	खसरा संख्या	1050 (नया) कुल क्षेत्रफल 8.31 हैक्टेयर है।
4.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल व मास्टर डवलपमेंट प्लान (जोन–2) अनुसार आवेदित भूमि 120 फीट चौड़ी सड़क से लगते हुए मिश्रित भू–उपयोग व शेष भूमि आवासीय हेतु आरक्षित है।
5.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि पंचशील योजना से लोहागल की 120 फीट चौड़ी सड़क से लगते हुए है एवं योजना के पश्चिम दिशा में 100 फीट चौड़ी सड़क उत्तर–पूर्व में 60 फीट चौड़ी सड़क स्थित है।
6.	क्षेत्रफल	व्यावसायिक योजना का लगभग क्षेत्रफल 8590.48

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		वर्गमीटर (0.86 हैक्टेयर) है। जिसमें 4 व्यावसायिक भूखण्ड एवं रौक गार्डन में 10 दुकानो की प्लानिंग की गई हैं।
7.	स्वामित्व रिपोर्ट	प्रकरण में पंचशील लिंक रोड़ व्यावसायिक योजना हेतु राजस्व ग्राम लोहागल के खसरा संख्या 1050 (नया) क्षेत्रफल 8.31 हैक्टेयर का स्वामित्व प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है। उक्त खसरे में से 100 फीट सड़क पर नगर निगम को 8000 व.मी. भूमि आवंटित हैं व मिश्रित भू–उपयोग में 4 व्यावसायिक भूखण्ड एवं रौक गार्डन में 10 दुकानो की प्लानिंग की गई हैं। प्रकरण में शेष खसरे की भूमि रिक्त है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. योजना सीमा का सत्यापन एवं पुष्टि राजस्व शाखा एवं कनिष्ठ अभियंता के माध्यम से करवायी जानी होगी। 2. योजना के भूखण्डो के डिमारकेशन के उपरान्त यदि कोई बदलाव पाया जाता है तो संशोधित ले–आउट प्लान का अनुमोदन किया जाना होगा अतः योजना के भूखण्डों के डिमारकेशन के उपरान्त ही आवंटन निलामी इत्यादि की कार्यवाही की जावें। 3. समस्त भूखण्डों के नापों/क्षेत्रफल/सैटबेक आदि का अंकन किया जाकर ले–आउट अंतिम रूप से तैयार किया जाकर अनुमोदन हेतु हस्ताक्षर किये जाने होगे।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्तावित योजना मानचित्र का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं समस्त भूखण्डों के नापों/क्षेत्रफल/सैटबेक आदि का अंकन किया जाकर ले–आउट अंतिम रूप से तैयार किया जाकर अनुमोदित किया जाता हैं।

एजेण्डा संख्या : 3

1.	आवेदक का नाम व पता	सोसायटी ऑफ मिशन सिसटर्स ऑफ अजमेर
2.	राजस्व ग्राम	गगवाना
3.	खसरा संख्या	2077, 2078/2418, 2083/2939, 2088/2687, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम गगवाना खसरा संख्या 2077, 2078/2418, 2083/2939, 2088/2687, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, एवं 2101 क्षेत्रफल 85511 वर्गमीटर (8.551 हैक्टेयर) की अन्य संस्थानिक

F:\E\Deepak devnani\LP 2022-23\LP-02 AGENDA\LP AGENDA 02 nirnay..doc

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		प्रयोजनार्थ 90—क दिनांक 14.01.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन—4) अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान की 60 मी. चौड़ी सड़क से लगते हुए 30 मी. प्लान्टेशन व शेष भूमि अन्य संस्थानिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है।
6.	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग	भू—अभिलेख शाखा द्वारा अंकित आवेदित भूमि का आवागमन जयपुर रोड़ 60 मी. चौड़ी सड़क से होता हैं।
7.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 85511 व.मी. (8.551 हैक्टेयर) में से 1000 व.मी. (0.1 हैक्टेयर) भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 84511 व.मी. रहती है।
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू—अभिलेख शाखा द्वारा अंकित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम गगवाना खसरा संख्या 2077, 2078 / 2418, 2083 / 2939, 2088 / 2687, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, एवं 2101 क्षेत्रफल 85511 वर्गमीटर (8.551 हैक्टेयर) आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है व बिन्दु संख्या चार के क्रम में 90—क करने के बाद अब भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
9.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर करूणालय नाम से संस्था संचालित हैं। आवेदित भूमि पर चार दिवारी, गार्डन, भवन व रोड़ निर्मित हैं। आवागमन जयपुर रोड़ से होता हैं। आंतरित विद्युत कनेक्शन लाईने प्रस्तावित भूमि के अंदर हैं।
10.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्थगन होना नहीं पाया गया हैं तथा प्रकरण के अनुसार अग्रिम कार्यवाही में विधिक बाधा नहीं हैं।
11.	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	प्रश्नगत भूमि ग्राम गगवाना के खसरा संख्या 2077, 2078 / 2418, 2083 / 2939, 2088 / 2687, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101 प्राधिकरण की किसी योजना में अवाप्त नहीं हैं एवं अवाप्ताधीन भी नहीं हैं।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम—2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	मार्गाधिकार 60 मीटर सड़क मध्य से 30 मीटर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी व आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम की तरफ जोनल प्लान की 24 मीटर सड़क मध्य से 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्य संस्थानिक (हॉस्पिटल) प्रयोजनार्थ स्थल मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 60 मीटर सड़क मध्य से 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी तथा 30 मीटर हरित पट्टी आरक्षित रखी जानी होगी। उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब–स्टेशन, ओवरहैड वाटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो सम्बन्धित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी। बेशर्त यह भूमि 200 फीट रोड़ की तरफ से छोड़नी होगी।
4. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 85511 व.मी. (8.551 हैक्टेयर) होने से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

एजेण्डा संख्या : 4

1.	आवेदक का नाम व पता	श्री मांगी लाल पुत्र श्री लोंगा राम निवासी–मेघवालो की ढ़ानी झिंझनियाला, जोधपुर।
2.	राजस्व ग्राम	सुरजकुण्ड पीसांगन
3.	खसरा संख्या	1466, 1467, 1468, 1471, 1495/1472, 1497/1473
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम सुरजकुण्ड पीसांगन खसरा संख्या 1466, 1467, 1468, 1471, 1495/1472, 1497/1473 क्षेत्रफल 73868 वर्गमीटर (7.3868

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		हैक्टेयर) की पर्यटन ईकाई प्रयोजनार्थ 90–क दिनांक 11.03.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है।
6.	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग	पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है।
7.	क्षेत्रफल	73868 वर्गमीटर (7.3868 हैक्टेयर) आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 73868 व.मी. में से 739.73 व.मी. भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 73128.27 व.मी. रहती है।
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू–अभिलेख शाखा द्वारा अंकित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम सुरजकुण्ड के खसरा संख्या 1466, 1467, 1468, 1471, 1495/1472, 1497/1473 आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है व बिन्दु संख्या चार के क्रम में 90–क करने के बाद अब भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग अविप्रा की सुरजकुण्ड योजना की 30 मीटर प्रस्तावित सड़क से उपलब्ध हैं।
9.	मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि के सामने अविप्रा के द्वारा ले–आउट **ADA /DIR (TP)/ PUSHKAR ZONE/2021 / SURAJKUND** / रिसोर्ट–ईकोलोजिकल हाउसिंग एवं फार्म हाउस/28 दिनांक 25.06.2021 को स्वीकृत किया गया हैं, जिसमें 30 मीटर चौड़ी सड़क आवेदित भूमि के सामने से प्रस्तावित हैं। वर्तमान में भूमि के सामने 60 फीट चौड़ाई में ग्रेवल सड़क उपलब्ध हैं एवं उक्त भूमि में कृषि बिजली कनेक्शन हेतु एचटी लाईन साईट प्लान में दर्शाये अनुसार मौजूद हैं। आवेदित भूमि के तीन तरफ पक्की दीवार बनी हुई हैं व उत्तर पूर्वी कोने में पक्का कमरा (छत टिन शेड) बना हुआ हैं।
10.	विधि शाखा की रिपोर्ट	प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका हैं जिसकी प्रति दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।
11.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 30 मीटर सड़क मध्य से 15 मीटर (क्षेत्रफल 739.73 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जानी होगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिसोर्ट प्रयोजनार्थ स्थल मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. **आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 30 मीटर सड़क मध्य से 15 मीटर (क्षेत्रफल 739.73 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।**

2. **आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

3. **आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि (मुख्य सड़क से लगते हुए) नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जावे।**

4. **आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 73868 वर्गमीटर (7.3868 हैक्टेयर) होने से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।**

एजेण्डा संख्या : 5

1.	आवेदक का नाम व पता	रितुराज जैन, निवासी–B–32, छतरी योजना, वैशाली नगर, अजमेर। सुनील सेठी, निवासी– 15, पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी, ऑपोजिट दौलत बाग, अजमेर। राजश्री आचार्य श्री, निवासी–624 पंचशील नगर, अजमेर।
2.	राजस्व ग्राम	पुष्कर

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

3.	खसरा संख्या	1144, 1146
4.	90—क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम पुष्कर खसरा संख्या 1144, 1146 क्षेत्रफल 5937.84 वर्गमीटर की आवासीय प्रयोजनार्थ 90—क दिनांक 11.03.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि का भू—उपयोग परिधि नियंत्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है।
6.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग पुष्कर नवखण्डित मंदिर से गुरूद्वारा सड़क जो कि मौके पर 60 फीट हैं से प्राप्त होती हैं।
7.	क्षेत्रफल	5937.84 वर्गमीटर (0.593784 हैक्टेयर) आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 5937.84 व.मी. में से 182.7 व.मी. भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 5755.14 व.मी. रहती है।
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू—अभिलेख शाखा द्वारा अंकित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पुष्कर के खसरा संख्या 1144, 1146 आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है व बिन्दु संख्या चार के क्रम में 90—क करने के बाद अब भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। खसरा संख्या 1144, 1146 आबादी के 500 मीटर की परिधि में स्थित हैं।
9.	मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि पुष्कर नवखण्डित मंदिर से गुरूद्वारा सड़क जो कि मौक पर 60 फीट हैं से लगभग 450 मीटर दूरी पर स्थित हैं एवं भूमि के सामने स्थित सड़क से 11KVA की विद्युत लाईन गुजर रही हैं।
10.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
11.	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम—2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 60 मीटर सड़क मध्य से 30 मीटर (क्षेत्रफल 182.70 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि,

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार 5000 से अधिक एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि निशुल्क समर्पित करायी जावे अथवा आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रयोजनार्थ स्थल मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 18 मीटर सड़क मध्य से 9 मीटर (क्षेत्रफल 182.70 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार 5000 से अधिक एवं 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि निशुल्क समर्पित करायी जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर पर राशि जमा करायी जावे।

एजेण्डा संख्या : 6

	आवेदक का नाम व पता	श्री मदन सिंह पुत्र श्री बालु सिंह किशनपुरा गोयला
1.	राजस्व ग्राम	गोयला
2.	खसरा संख्या	2283 / 2272
3.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम गोयला खसरा संख्या 2283 / 2272 क्षेत्रफल 0.65 हैक्टेयर की मोटल प्रयोजनार्थ 90–क दिनांक 16.08.2017 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
4.	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है।
	अन्य विचारणीय बिन्दु	1. प्रकरण में ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 16.07.2021 में लिए गये निर्णय अनुसार समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर पूर्व में लिए

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	गये निर्णय के क्रम में चूंकि खसरा संख्या 2037 जो कि प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि है को मुख्य सड़क तक पंहुचमार्ग उपलब्ध होता है अतः प्रार्थी के आवेदन पर विचार करते हुए प्राधिकरण की भूमि को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण 60 फीट सड़क नाले के सहारे छुड़वाया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है तथा भूखण्ड पर मोटेल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान का निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :– (i) आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। (ii) भवन विनियम 2020 के प्रावधान 10.2.6 (c) (III) मोटल के भूखण्ड में भूखण्ड क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप हेतु आरक्षित करना होगा। (iii) भवन मानचित्र स्वीकृति सक्षम स्तर से लिये जाने से पूर्व सैटबैक में निर्माण होने की स्थिति में, निर्माण को हटाये जाने पश्चात् ही स्वीकृति जारी करायी जानी होगी। (iv) मास्टर प्लान की रोड़ का मार्गाधिकार, अनुसार 18 मीटर रखे जाने हेतु वर्तमान सड़क के मध्य से 9 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। (v) प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने की स्थिति में नगरीय विकास विभाग के आदेश अनुसार मोटेल प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब–स्टेशन, ओवरहैड वाटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि के क्रम में 5 प्रतिशत राशि प्राधिकरण कोष में जमा करायी जानी होगी। (vi) पास में नाला स्थित है। अतः नाले हेतु

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अपनाये जाने की सुनिश्चितता आवेदककर्ता के स्तर से की जानी आवश्यक होगी। 2. उक्त निर्णयों की पालना में बिन्दु संख्या 4 में पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी है व प्रश्नगत भूमि के पहुँचमार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर रखा गया है परन्तु मास्टर डवलपमेंट प्लान (अजमेर रीजन–2033) के अनुसार सड़क मार्गाधिकार 60 मी. प्रस्तावित है। 3. प्रार्थी द्वारा आयुक्त महोदय को दिनांक 17.09.21 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया है कि आवेदित भूमि के पहुँचमार्ग का मार्गाधिकार वर्तमान सड़क मध्य से 100 फीट नही छोड़कर पूर्व में निर्धारित मार्गाधिकार 60 फीट सड़क मानते हुए ही पट्टा विलेख जारी करने की कृपा करें, क्योंकि श्रीमान् नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन (अधिसूचना) क्रमांक नं. F3 (77) UDH/ 3 /2010 PART JAIPUR दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या Provision .5.01 (E) (b)/provision 3 (iii) (b) के बिन्दु संख्या 03 के (III) पर स्पष्ट उल्लेख है कि "यदि किसी राजस्व/कटाण मार्ग पर पूर्व में स्थानीय निकाय द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जा चुके हो तो ऐसी स्थिति में कमिटमेंट मानते हुए उस रास्ते का मार्गाधिकार कमिटमेंट अनुसार ही निर्धारित रखा जाना है"। पूर्व में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा व स्थानीय निकाय द्वारा मोतिसर रोड़ स्थित युवराज फोर्ट, डेरा मसूदा, एडवेन्चर पार्क एवं आदिनाथ रिसोर्ट का भी पट्टा 60 फुट रोड़ मानते हुए जारी किया गया है। वर्तमान में बीना जेठानी की 90–क मास्टर प्लान की 200 फीट सड़क मानते हुए राज्य सरकार को भिजवायी गई है, जो की प्रश्नगत भूमि के ठीक सामने ही स्थित हैं।

निर्णय :–समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी। बाद चर्चा निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. **प्रकरण में आवेदक द्वारा कमिटमेंट मानते हुए 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार पर स्थल मानचित्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। परन्तु प्रकरण में केवल 90–क आदेश मोटल प्रयोजनार्थ**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

जारी किया गया था। स्थल मानचित्र/ले–आउट प्लान जारी नहीं होने से कमिटमेंट की श्रेणी नहीं माना जा सकता हैं।

2. प्रकरण में ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 16.07.2021 में लिए गया निर्णय गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया था, जिसके पश्चात् आज दिनांक तक स्थल मानचित्र जारी नहीं होने से समिति के निर्णय के बिन्दु संख्या 4 को निरस्त माना जावेगा एवं अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

3. पूर्व में अन्य प्रकरणों में स्वीकृत स्थल मानचित्र अजमेर मास्टर प्लान 2033 के स्वीकृत होने से पूर्व जारी किये जा चुके हैं। अजमेर मास्टर प्लान 2033 के अनुसार सड़क मार्गाधिकार 60 मीटर निर्धारित है। अतः इससे कम सड़क मार्गाधिकार पर नये सर मोटेल स्वीकृत नहीं कर सकते अर्थात कम से कम सड़क मार्गाधिकार 60 मीटर रखना आवश्यक है। उक्त संबंध में आवेदक को सूचित किया जावे कि मोटेल प्रयोजनार्थ स्थल मानचित्र अजमेर मास्टर प्लान 2033 के अनुसार 60 मीटर सड़क मार्गाधिकार रखते हुए ही जारी किया जायेगा।

4. ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 16.07.2021 में लिए गया निर्णय गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया था अतः जिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये उस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सचिव अविप्रा द्वारा अमल में लायी जायेगी।

अतः प्रकरण में अजमेर मास्टर प्लान 2033 के अनुसार 60 मीटर सड़क मार्गाधिकार रखते हुए एवं समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय दिनांक 16.07.2021 के बिन्दु संख्या 4 के अतिरिक्त अन्य बिन्दु यथावत रखकर मोटल प्रयोजनार्थ स्थल मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 7

1.	आवेदक का नाम व पता	श्री चंगीराम चौधरी पुत्र श्री सुरजा राम चौधरी एवं श्री उम्मेद खान पुत्र श्री आलम खान
2.	राजस्व ग्राम	लोहागल
3.	खसरा संख्या	369, 370, 372
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम लोहागल खसरा संख्या 369, 370, 372 क्षेत्रफल 5300 वर्गमीटर (0.53 हैक्टेयर) की आवासीय प्रयोजनार्थ 90–क दिनांक 08.04.2021 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय एवं हरित क्षेत्र हेतु आरक्षित है।
6.	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग	आवेदित भूमि जोनल प्लान जोन–2 अनुसार प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है एवं आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में 18 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है।
7.	क्षेत्रफल	5260.91 वर्गमीटर (0.53 हैक्टेयर) आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 5260.91 व.मी. में से 1537.36 व.मी. भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 3723.55 व.मी. रहती है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

8.	स्वामित्व रिपोर्ट	जमाबन्दी अनुसार आवेदित खसरा संख्या 369, 370, 372 किता 3 कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर आवेदक उम्मेद खान पुत्र आलम खान हिस्सा 1/2 जाति चीता एवं चंगीराम चौधरी पुत्र सुरजा राम चौधरी हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है व बिन्दु संख्या चार के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। राजस्व मानचित्र अनुसार प्रस्तावित भूमि तक पहुँचमार्ग उपलब्ध नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है। आवेदित भूमि लोहागल तालाब के निकट स्थित है।
9.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है। मौका पर आवेदित भूमि को 40 फीट कच्चा रास्ता उपलब्ध है। उक्त सड़क पर पूर्व में ले–आउट प्लान अनुमोदित है।
10.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. प्रकरण में ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 04.02.2022 में लिए गये निर्णय अनुसार समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जोनल डवलपमेंट प्लान जोन–2 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय एवं हरित क्षेत्र हेतु आरक्षित हैं। जोनल प्लान अनुसार शेष आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर ही आवासीय योजना का अनुमोदन किया जाना उचित होगा। अतः आवेदक द्वारा जोनल प्लान अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान तथा जोनल प्लान पर संशोधित ले–आउट प्लान सुपरइम्पोज कर प्रस्तुत करने के पश्चात सम्पूर्ण जाँच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2022 द्वारा बैठक दिनांक 04.02.2022 में लिए गए निर्णय के क्रम मे संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया हैं। उक्त की जाँच जोनल डवलपमेंट प्लान जोन–2 आनासागर जोन एवं उपलब्ध सैटेलाईट इमेज के माध्यम से किये जाने पर निम्न बिन्दु पाये गयेः– I. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क का इन्जीनियरिंग अलाइनमेंट मौका स्थिति पर भिन्न है तथा प्रस्तावित सड़क के

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	पश्चिम में लगभग 28 मीटर तक शिफ्ट हैं। II. शिफ्टेड अलाइनमेन्ट के अनुपात में आवेदित भूमि पर प्रस्तुत किये गये संशोधित ले–आउट प्लान में दर्शायी गई हरित पट्‌टी आवासीय क्षेत्र जोन–2 के प्रावधानानुसार हैं। III. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में 60 फीट चौड़ी सड़क जोनल प्लान में प्रस्तावित है। जिसे संशोधित ले–आउट प्लान में नहीं दर्शाया गया हैं। IV. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

निर्णय :– समिति में चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान व जोनल प्लान में काफी अन्तर नजर आ रहा हैं। जोनल प्लान में मास्टर प्लान की कई कमियों को सही कर लिया गया हैं परन्तु वर्तमान में भी जोनल प्लान में अन्तर की स्थिति होने से कमेटी बना कर बाद जाँच की रिपोर्ट अवलोकन पश्चात निर्णय लिया जाना उचित होगा। समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक आयोजना एवं संबंधित उपायुक्त द्वारा संयुक्त मौका जाँच रिपोर्ट पुनः समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत करें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त घोषित की गई।

यह बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित है।

29/03

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नि.शा/2022/ 1451-1457 दिनांक : 30-3-2022

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण/किशनगढ़/पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

29/03

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर